लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी, (राजस्व) (जिला कलक्टर) चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी – आलोक रंजन (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
119/2024(सू.अ.) (GCMS 2024/449)	20-12-2024	15-01-2025

अनवान

शांतिलाल पिता जगन्नाथ छीपा, निवासी हिन्दु छीपा मौहल्ला लौहारो की मस्जिद के पास चित्तौड़गढ़ तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ (मोबाईल 9785226101)

अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़

प्रत्यर्थी

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

–:: निर्णय ::–

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ के यहां सूचना चाहने हेतु एक आवेदन–पत्र पत्रांक/आरटीआई में आवेदन/2024/186 दिनांक 14.10.2024 से लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ को प्रस्तुत किया, उक्त आवेदन के संबंध में अधिनियम द्वारा निर्धारित समयावधि 30 दिवस की अवधि में लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ से अपीलार्थी को उसके द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराने से अपीलार्थी द्वारा यह हस्तगत प्रथम अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई। इस पर अपील अपीलार्थी को दर्ज रजिस्टर किया जाकर न्यायालय के पत्र क्रमांक/सरिश्ता/प्र.सं./119/2024(सू.अ.)(15.01.2025)877 दिनांक 20.12.2024 से अपील मेमो एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ को प्रेषित करते हुये आगामी पेशी दिनांक से पूर्व अपील मेमो एवं आवेदन के संबंध में बिन्दुवार कमेंट्स/टिप्पणी हेतु लिखा गया एवं अपीलार्थी को जरिये रजिस्टर्ड सूचना–पत्र से नियत दिनांक को अपील के संबंध में अपना पक्ष रखने एवं सुनवाई हेतु सूचित किया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

दिनांक 15.01.2025 अपील अपीलार्थी हाजिर आये एवं पत्रांक/सुनवाई/2025/04 दिनांक 15.01.2025 से लिखित अभिवचन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वांछित सूचना आज दिनांक तक अप्राप्त है। पत्र शामिल पत्रावली होकर रिकार्ड पर है। लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ से पत्रांक/लोसूअ/विविध/2024-25/4 दिनांक 10.01.2025 से कमेंट्स/टिप्पणी एवं संदर्भित पत्रों की छाया प्रतियां प्रेषित की गई है जो कि शामिल पत्रावली होकर रिकार्ड पर हैं।

हमने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील आवेदन तथा उसके संलग्न अनुलग्नकों का गहनता पूर्वक अवलोकन किया। तथ्यों का चित्त मन से शांति पूर्वक चिंतन-मनन किया। हमने सूचना का अधिकार अधिनयम 2005 से मार्गदर्शन प्राप्त किया। प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग (सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ) के परिपत्र क्रमांक : प.3(22)प्रसु/सू.अ.प्र./06 दिनांक 02.02.2009 के बिन्दु संख्या 3 द्वारा प्रचारित किया गया है कि नागरिकों को किसी लोक प्राधिकारी से ऐसी सूचना मांगने का अधिकार हैं, जो उस लोक प्राधिकारी के पास उपलब्ध है या उसके नियंत्रण में है। इस अधिनियम में लोक प्राधिकारी के पास या नियंत्रण में उपलब्ध कृति, दस्तावेजों तथा रिकार्ड का निरीक्षण, नोट, उद्धरण या प्रमाणित प्रतियॉ प्राप्त करना, सामग्री के प्रमाणित नमूने शामिल है, परन्तु सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत लोक प्राधिकारी द्वारा सूचना का सृजन करना या सूचना की व्याख्या करना या आवेदक द्वारा उठायी गई समस्याओं का समाधान करना या काल्पनिक प्रश्नों का उत्तर देना अपेक्षित नहीं हैं। अधिनियम के अन्तर्गत केवल ऐसी सूचना प्राप्त की जा सकती है जो लोक प्राधिकारी के पास पहले से मौजदू है।

हमने अपीलार्थी लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, चित्तौड़गढ़ द्वारा प्रेषित कमेंट्स/टिप्पणी में संदर्भित पत्रों की छाया प्रतियां का गहनता पूर्वक अध्ययन/अवलोकन किया। संदर्भित पत्रों के अवलोकन से जाहिर आया है कि अपीलार्थी द्वारा आवेदन पत्र दिनांक 14.10.2024 के संबंध में अधीनस्थ लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपने पत्र क्रमांक/लोसूअ/विविध/2024/282 दिनांक 04.11.2024 से अधिनियम 2005 में प्रावधानों के तहत विहित समयावधि में अपीलार्थी को सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रस्तुत आवेदन-पत्र क्रमांक आरटीआई में आवेदन/2024/186 दिनांक 14.10.2024 के संबंध में वांछित सूचना प्रेषित किया जाना आवगत कराया गया है। हमने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र दिनांक 14.10.2024 का अवलोकन किया। हम अधीनस्थ लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ के विनिश्चय से सहमत हैं, ऐसी स्थिति में अधीनस्थ लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी के अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत आवेदन पत्र दिनांक 14.10.2024

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

का विधि अनुसार विहित समयावधि में किया जाना प्रतिवेदित हुआ हैं, किन्तु प्रार्थी/ आवेदक को आदिनांक तक वांछित सूचना अप्राप्त हैं, ऐसी स्थिति में अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध कराया जाना उचित प्रतीत होता है।

उपर्युक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत हस्तगत प्रथम अपील अपीलार्थी/आवेदक के आवेदन–पत्र दिनांक 14.10.2024 जो कि लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.) को प्रस्तुत किया गया बाबत् इन निर्देशों के साथ निस्तारित किया जाता है कि प्रार्थी/आवेदक के आवेदन पत्र दिनांक 14.10.2024 के क्रम में लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ द्वारा अपीलार्थी को पत्रांक/लोसूअ/विविध/2024/282 दिनांक 04.11.2024 से प्रेषित किया जाना अवगत कराया गया हैं, उक्त पत्र की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ पुनः अपीलार्थी को 10 दिवस में जरिये रजिस्टर्ड डाक से उपलब्ध करावें एवं पालना प्रतिवेदन इस न्यायालय में प्रस्तुत करावें।

निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ एवं अपीलार्थी को जरिये रजिस्टर्ड डाक निःशुल्क भिजवाई जावें। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही के अभिलेखागार भिजवाई जावे।

यह निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक **15.01.2025** को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(आलोक रंजन)(I.A.S.)
लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी,
(राजस्व) (जिला कलक्टर),
चित्तौड़गढ़ (राज.)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official